मनमानी | भू-माफिया के आगे प्रशासन मौन

शहरी क्षेत्र में सरकारी भूमि पर संगठित कब्जा

कोतमा, , नवभारत 11 जनवरी। शहरी क्षेत्र में शासकीय भूमि पर खुलेआम और संगठित तरीके से अतिक्रमण किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि भू-माफिया स्थानीय प्रशासनिक तंत्र के कुछ अधिकारियों-कर्मचारियों की मिलीभगत से करोड़ों रुपये मूल्य की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग आंख मूंदे बैठे हैं।

नगर के वार्ड क्रमांक एक, फिल्टर टोला क्षेत्र में पिछले कई महीनों से शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण कर पक्के मकान और बाउंड्री खड़े किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि आदिवासी और हरिजन समुदाय के गरीब परिवारों की झुग्गी-झोपड़ियों को खरीद-फरोख्त कर योजनाबद्ध तरीके से सरकारी भूमि पर कब्जा किया गया। इस अवैध खेल में जनप्रतिनिधियों और नेताओं के रिश्तेदारों की संलिप्तता की चर्चा भी आम है।

स्थानीय वार्डवासियों का कहना है कि इस संबंध में कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को लिखित व मौखिक शिकायतें दी गईं, लेकिन हर बार औपचारिक नोटिस जारी कर खानापूर्ति कर दी गई और मामला रफा-दफा कर दिया गया। परिणामस्वरूप भू-माफिया के हौसले बुलंद हैं और लगातार सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण जारी है।

प्रशासन की चुप्पी पर सवाल

शहर के बीचोंबीच करोड़ों की शासकीय भूमि पर खुलेआम कब्जा होने के बावजूद कार्रवाई न होना प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। वार्डवासियों का आरोप है कि यदि समय रहते सख्त कार्रवाई की जाती, तो यह अतिक्रमण इतना व्यापक रूप नहीं लेता।

एसडीएम से की गई कार्रवाई की मांग

आक्रोशित नागरिकों ने एसडीएम, टीआर नाग से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और तीन मंजिला निर्माण सहित सभी अवैध कब्जों को तत्काल हटाया जाए। साथ ही दोषी भू-माफिया और संरक्षण देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में सरकारी भूमि के दुरुपयोग पर रोक लग सके।अब देखना यह है कि प्रशासन इस गंभीर मामले में कब तक ठोस कदम उठाता है या फिर शासकीय भूमि पर अतिक्रमण का यह खेल यूं ही चलता रहेगा।

इनका कहना है

शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किए जाने का मामला गंभीर है संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को भेजकर दिखाता हूं।

टी आर नाग
एसडीएम, कोतमा
अनूपपुर

वार्ड 01 निर्माणाधीन भवन की अनुमति नहीं ली गई है, और वह शासकीय भूमि है उसकी अनुमति दी भी नहीं जा सकती

योगेंद्र तिवारी
राजस्व अधिकारी
नपा, कोतमा

अमरकंटक रोड पर सड़क हादसा, बाइक सवार की मौत

कोतवाली पुलिस ने आरोपी कार चालक को किया गिरफ्तार, वाहन जब्त

अनूपपुर, नवभारत। अमरकंटक रोड पर ग्राम बैरीबांध के पास हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद कोतवाली पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया तथा दुर्घटनाग्रस्त वाहन को जब्त कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी।

जानकारी के अनुसार कोतवाली निरीक्षक अरविन्द जैन को सूचना दी गई कि ग्राम बैरीबांध के पास कार की टक्कर से एक मोटरसाइकिल सवार की मृत्यु हो गई है। सूचना मिलते ही कोतवाली निरीक्षक अरविन्द जैन, सहायक उपनिरीक्षक संतोष वर्मा, प्रधान आरक्षक राजकुमार साहू, आरक्षक अमित यादव एवं आरक्षक संजय सिंह मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दुर्घटना में मृतक की पहचान मनेश्वर दास पटेल पिता रामभजन पटेल उम्र लगभग 26 वर्ष निवासी दुलहरा अनूपपुर के रूप में की है। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय अनूपपुर भेजा गया। पुलिस ने मौके से कार क्रमांक एमपी 65 सी 5208 के चालक रानू प्रसाद पनिका पिता नत्थू प्रसाद पनिका उम्र 26 वर्ष निवासी पटौराटोला को गिरफ्तार कर थाना लाया तथा दुर्घटनाग्रस्त वाहन को जब्त कर लिया। आरोपी चालक के विरुद्ध थाना कोतवाली में धारा 106(1) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

दुकान का ताला तोड़कर चोरी करने वाला गिरफ्तार

अनूपपुर,नवभारत 11 जनवरी। अनूपपुर पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान बड़ी सतर्कता दिखाते हुए चोरी के प्रयास को नाकाम कर दिया। पुरानी सब्जी मंडी क्षेत्र में दुकान का ताला तोड़कर अंदर घुसे एक युवक को कोतवाली पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ लिया, जिससे एक बड़ी चोरी की वारदात टल गई।

घटना की जानकारी के अनुसार 9-10 जनवरी की दरम्यानी रात की है। थाना कोतवाली की रात्रि गश्त पार्टी सहायक उपनिरीक्षक संतोष वर्मा, प्रधान आरक्षक राजकुमार साहू एवं आरक्षक अमित यादव को शोएब अंसारी निवासी वार्ड नं. 8 अनूपपुर द्वारा सूचना दी गई कि पुरानी सब्जी मंडी क्षेत्र में एक दुकान में चोरी का प्रयास हो रहा है। सूचना पर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची। रात लगभग 12 बजे महाबीर प्रेस के सामने स्थित गिरधारीलाल अग्रवाल पिता बृजमोहन अग्रवाल उम्र 48 वर्ष निवासी वार्ड नं. 4 रामजानकी मंदिर रोड अनूपपुर की लोहा-सरिया विक्रय की दुकान के शटर का ताला तोड़कर अंदर घुसे युवक को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपी की पहचान नानदादा कोल पिता शिवप्रसाद कोल उम्र लगभग 22 वर्ष निवासी ग्राम सड्डी थाना कोतमा के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से ताला तोड़ने में प्रयुक्त लोहे का प्लास, नुकीला बरमा एवं लोहे का जैक बरामद किए गए। पीड़ित गिरधारीलाल अग्रवाल की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में धारा 331(4) बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।

प्राकृतिक खेती का रकबा बढ़ाने पर जोर

अनूपपुर,नवभारत 11 जनवरी। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी अर्चना कुमारी ने जिले में कृषि धन-धान्य योजना के बेहतर क्रियान्वयन के निर्देश देते हुए कहा कि कृषि विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी निरंतर मेहनत कर अधिक से अधिक कृषकों को प्राकृतिक खेती से जोड़ें। उन्होंने भारत सरकार एवं राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार योजनाओं का अधिकतम लाभ कृषकों तक पहुंचाने तथा उन्नत तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करने पर विशेष जोर दिया। ये निर्देश जिला पंचायत सभागार में आयोजित कृषि विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान दिए गए। बैठक में सहायक संचालक कृषि वर्षा त्रिपाठी, एसएडीओ पुष्पराजगढ़, कृषि विस्तार अधिकारी तथा अन्य संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

जिले में कृषक कल्याण का हुआ शुभारंभ

- प्रभारी मंत्री ने कृषि रथ व उद्यानिकी कृषक भ्रमण दल को दिखाई हरी झंडी

अनूपपुर,नवभारत 11 जनवरी। मध्य प्रदेश शासन के वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री तथा अनूपपुर जिले के प्रभारी मंत्री दिलीप अहिरवार ने शनिवार को जिला पंचायत परिसर से कृषक कल्याण वर्ष 2026 का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कृषि रथ एवं उद्यानिकी विभाग के कृषक भ्रमण दल वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री श्री अहिरवार ने कहा कि राज्य शासन का मुख्य उद्देश्य किसानों को आत्मनिर्भर, सशक्त एवं समृद्ध बनाना है। कृषि रथ इस संकल्प को जन-जन तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम बनेगा। इसके माध्यम से किसानों को नवीन कृषि तकनीक, सरकारी योजनाओं और आधुनिक खेती के तरीकों की जानकारी दी जाएगी। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष प्रीति सिंह, उपाध्यक्ष पार्वती राठौर, कलेक्टर हर्षल पंचोली, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अर्चना कुमारी, जिला पंचायत सदस्य भूपेंद्र सिंह, कृषि विभाग की सहायक संचालक वर्षा त्रिपाठी सहित अन्य कृषि अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में कृषक उपस्थित रहे।

कृषि रथ से पहुंचेगी योजनाओं की जानकारी गांव-गांव

कृषि रथ जिले के समस्त विकासखंडों एवं ग्रामों का भ्रमण करेगा। इसके माध्यम से किसानों को राज्य सरकार की विभिन्न किसान हितैषी योजनाएं, नवीन कृषि तकनीक, अनुदान योजनाएं, फसल बीमा, प्राकृतिक खेती, फसल विविधीकरण तथा कृषक कल्याण वर्ष के अंतर्गत संचालित गतिविधियों की विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएगी। इससे किसानों में जागरूकता बढ़ेगी और वे योजनाओं का अधिकतम लाभ उठा सकेंगे।

कृषक कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत कृषक रथ यात्रा शुभारंभ अवसर पर भोपाल के जंबूरी मैदान में आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का जिला पंचायत सभागार में सीधा प्रसारण देखा और सुना गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वर्चुअल माध्यम से संबोधन किया।

एक नजर में

दो आरोपियों को 10-10 साल का कारावास

अनूपपुर,नवभारत 11 जनवरी। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्र पटेल की अदालत ने वोटों की गिनती के दौरान लोगों के साथ गाली-गलौज और जान से मारने की कोशिश करने के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई है। अदालत ने थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सोन मौहरी निवासी शंकर चौधरी और संतोष कुमार चौधरी को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 294, 323, 506, 34 एवं 307 के तहत दोषी पाया। दोनों आरोपियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास तथा प्रत्येक को 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। निर्णय के बाद दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल अनूपपुर भेज दिया गया। लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि 1 जुलाई 2022 की रात ग्राम सोन मौहरी में फाटक हाई स्कूल के पास कुछ लोग वोटों की गिनती सुनने के लिए बैठे हुए थे। इसी दौरान 20 वर्षीय शंकर चौधरी और 23 वर्षीय संतोष कुमार चौधरी ने फरियादी कदमिया बाई सहित राधेश्याम चौधरी, कपसू चौधरी एवं सोना चौधरी के साथ अश्लील गाली-गलौज शुरू कर दी। विवाद बढ़ने पर दोनों आरोपियों ने लाठी-डंडे तथा टांगी/कुल्हाड़ी से हमला कर जानलेवा चोटें पहुंचाईं। इस संबंध में फरियादी की शिकायत पर थाना कोतवाली अनूपपुर में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 294, 323, 506, 34 एवं 307 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। पुलिस ने मामले की विवेचना के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार किया, पीड़ितों व गवाहों के बयान दर्ज किए, साक्ष्य जब्त किए और जांच हेतु एफएसएल सागर भेजा। संपूर्ण विवेचना के बाद न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान लोक अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर न्यायालय ने मामले की गंभीरता और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया और उपरोक्त सजा सुनाई।

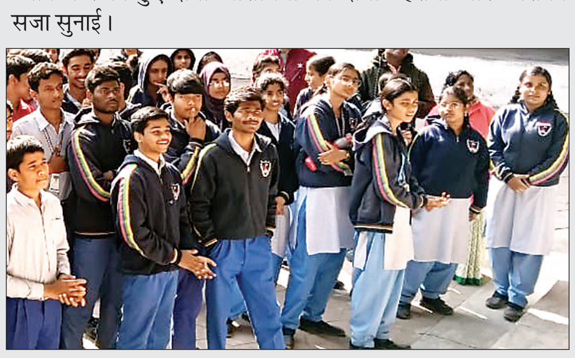

ब्लैक स्पॉट क्षेत्रों में बच्चों को किया जागरूक

अनूपपुर,नवभारत 11 जनवरी। जिले में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से यातायात पुलिस द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक अनूपपुर मोती उर रहमान के निर्देश पर न केवल स्कूलों में, बल्कि जिले के चिन्हित ब्लैक स्पॉट क्षेत्रों में भी बच्चों को यातायात नियमों एवं सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में यातायात पुलिस ने ब्लैक स्पॉट क्षेत्रों के आसपास रहने वाले तथा वहां से आवागमन करने वाले स्कूली बच्चों को सड़क पार करते समय सतर्कता बरतने, ज़ेब्रा क्रॉसिंग के उपयोग, हेलमेट एवं सीट बेल्ट के महत्व, तेज गति से वाहन न चलाने और सड़क पर अनुशासन बनाए रखने जैसी आवश्यक जानकारियां दीं। यातायात पुलिस ने बच्चों को बताया कि ब्लैक स्पॉट क्षेत्र दुर्घटना की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील होते हैं, जहां विशेष सावधानी बरतना अनिवार्य है। इसके साथ ही बच्चों से अपील की गई कि वे स्वयं यातायात नियमों का पालन करें और अपने माता-पिता, परिजनों तथा आसपास के लोगों को भी सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करें। यातायात पुलिस द्वारा लगातार स्कूलों एवं सार्वजनिक स्थलों पर पहुंचकर विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा का पाठ पढ़ाया जा रहा है।

अपर नर्मदा बांध परियोजना के विरोध में 10 गांवों के ग्रामीणों का प्रदर्शन

राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन

अनूपपुर,नवभारत 11 जनवरी। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ में प्रस्तावित अपर नर्मदा बांध परियोजना के खिलाफ शनिवार को व्यापक विरोध प्रदर्शन किया गया। 10 गांवों के हजारों ग्रामीणों के साथ आदिवासी संगठनों और साधु-संतों ने परियोजना को निरस्त करने की मांग को लेकर हुंकार भरी। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन एसडीएम को सौंपते हुए परियोजना को तत्काल रद्द करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि करीब 983 करोड़ 80 लाख रुपये की लागत से बनने वाला यह 33 मीटर ऊंचा बांध हजारों आदिवासी परिवारों को विस्थापित कर देगा। ग्रामीणों ने पेसा कानून और संविधान की पांचवीं अनुसूची का हवाला देते हुए कहा कि ग्राम सभाओं की सहमति के बिना परियोजना को मंजूरी देना उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने परियोजना पर पुनर्विचार नहीं किया तो पुष्पराजगढ़ बंद किया जाएगा।

धार्मिक स्थल और पर्यावरण पर खतरा

ज्ञापन में बताया गया कि बांध बनने से नर्मदा नदी के उद्गम क्षेत्र के जल स्रोत प्रभावित हो सकते हैं। इसके साथ ही शोभापुर और परसवाड के बीच स्थित धार्मिक स्थल करबे मट्ठा करम श्रीदेवी स्थल तथा शिवनी संगम पर स्थित प्राचीन कल्पवृक्ष के जलमग्न होने की आशंका है। परियोजना से खेतगांव, थार पाथर और कोयलारी सहित कुल 10 गांव सीधे प्रभावित होंगे।

पहले से चल रही परियोजनाओं से बढ़ी नाराजगी

अपर नर्मदा किसान संघर्ष मोर्चा के अनुसार, क्षेत्र में पहले से ही राघवपुर पावर प्रोजेक्ट और बसनीया बहुउद्देशीय परियोजना पर काम चल रहा है। इन सभी परियोजनाओं को मिलाकर करीब 14,000 परिवारों के विस्थापन का खतरा बताया गया है। ग्रामीणों ने कहा कि वे अपनी जमीन, आजीविका और संस्कृति की रक्षा के लिए आंदोलन को और तेज करेंगे।

खेलों एमपी यूथ गेम्स 2026 में खेल प्रतिभाओं को मिलेगा बड़ा मंच

अनूपपुर,नवभारत 11 जनवरी। जिला खेल एवं युवा कल्याण विभाग अनूपपुर द्वारा खेलो एमपी यूथ गेम्स 2026 के आयोजन की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। यह प्रतियोगिता 13 जनवरी से 16 जनवरी तक आयोजित की जाएगी, जिसमें जिले के बालक एवं बालिका खिलाड़ी विभिन्न खेल विधाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इस बहुप्रतीक्षित प्रतियोगिता में बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कुश्ती, जूडो, थांग-ता, बॉक्सिंग, वॉलीबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स, फुटबॉल, कबड्डी, योगासन, हैंडबॉल एवं क्रिकेट सहित अनेक खेलों को शामिल किया गया है। विभाग द्वारा सभी खेलों के लिए आयु पात्रता (जन्म तिथि के आधार पर) स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई है, ताकि चयन प्रक्रिया पारदर्शी एवं निष्पक्ष बनी रहे।जिला खेल अधिकारी के अनुसार प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के उभरते खिलाड़ियों को पहचान दिलाना तथा उन्हें राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना है।

मोदी सरकार में नाम नहीं, काम बोलता है : मंत्री दिलीप अहिरवार

- वीबी-जी रामजी योजना से 2047 तक विकसित भारत का सपना होगा साकार

अनूपपुर,नवभारत 11 जनवरी। मध्य प्रदेश शासन के वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री तथा अनूपपुर जिले के प्रभारी मंत्री दिलीप अहिरवार ने कहा कि मोदी सरकार में नाम नहीं, काम बोलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का प्रतिफल है वीबी-जी रामजी योजना, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार कर गांवों को समृद्ध बनाएगी। रविवार को आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत ग्रामीणों को 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाएगी, जबकि मनरेगा में केवल 100 दिन का रोजगार मिलता था। उन्होंने इसे ग्रामीण क्षेत्र के समुचित विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल बताया। मंत्री अहिरवार ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में इस योजना के लिए जहां लगभग 35 हजार करोड़ रुपये का बजट था, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे बढ़ाकर पहले 74 हजार करोड़ और अब सुधारों के साथ 95 हजार करोड़ रुपये कर दिया है। यह बजट पूर्व सरकार की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक है, जो सरकार की ग्रामीण विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

अनूपपुर में 9 दिवसीय श्रीमद्भागवत महापुराण कथा का आज अंतिम दिन

अनूपपुर,नवभारत 11 जनवरी। नगर अनूपपुर में श्री शिरोमणि परिवार के निवास स्थान पर 4 जनवरी से 12 जनवरी तक नौ दिवसीय श्रीमद्भागवत महापुराण कथा का भव्य आयोजन किया जाएगा। आयोजन परमपिता परमेश्वर श्रीहरि की कृपा एवं पितृ देवों के आशीर्वाद से श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ संपन्न होगा। कथा का शुभारंभ 4 जनवरी रविवार को प्रातः देव पूजन एवं कलश यात्रा के साथ किया जाएगा। कलश यात्रा प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक तथा दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक आयोजित होगी। इसके पश्चात प्रतिदिन श्रीमद्भागवत कथा का रसपान श्रद्धालुओं को कराया जाएगा। आयोजन के दौरान विभिन्न पावन प्रसंगों का भावपूर्ण वर्णन किया जाएगा, जिनमें वराह अवतार, हिरण्याक्ष वध, जड़भरत प्रसंग, प्रह्लाद चरित्र, समुद्र मंथन, वामन अवतार, श्रीराम चरित्र, श्रीकृष्ण जन्मोत्सव, बाल लीलाएं, गोवर्धन पूजा, रासलीला, कंस वध, रुक्मिणी विवाह, सुदामा चरित्र, उद्धव संवाद एवं परीक्षित मोक्ष जैसे महत्वपूर्ण प्रसंग शामिल रहेंगे। कार्यक्रम के अनुसार 11 जनवरी रविवार को व्यास पूजा एवं चतुर्थी तथा 12 जनवरी सोमवार को हवन, भंडारा एवं पूर्णाहुति के साथ कथा का समापन होगा।

आरोप | कोतमा में छात्र से मारपीट का आरोप, शिक्षा के मंदिर में भय का माहौल!

निजी स्कूल संचालक पर मामला दर्ज

कोतमा,नवभारत 11 जनवरी। शहर के भारत माता पब्लिक स्कूल कोतमा से एक गंभीर और चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां स्कूल के संचालक एवं प्राचार्य पर कक्षा 9वीं में अध्ययनरत नाबालिग छात्र के साथ बेरहमी से मारपीट करने का आरोप लगा है। इस मामले में पीड़ित छात्र के परिजनों की शिकायत पर थाना कोतमा में प्रकरण दर्ज कर पुलिस ने जांच प्रारंभ कर दी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, भारत माता पब्लिक स्कूल कोतमा के संचालक एवं प्राचार्य नारायण सिंह पर आरोप है कि उन्होंने 9 जनवरी को दोपहर लगभग 1 बजे बिजली बोर्ड तोड़ने का आरोप लगाते हुए छात्र किशन साहनी (उम्र 14 वर्ष), पिता बिरजू साहनी, निवासी वार्ड क्रमांक 10, मजार के पास, को स्कूल परिसर में ही बुरी तरह पीटा। पीड़ित छात्र कक्षा 9वीं का विद्यार्थी है। मारपीट से छात्र को गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद परिजनों ने थाना कोतमा पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए छात्र का चिकित्सकीय परीक्षण कराया और आरोपी स्कूल संचालक नारायण सिंह के विरुद्ध संबंधित धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

कांग्रेस अध्यक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की

इस पूरे मामले पर जिला कांग्रेस कमेटी अनूपपुर के अध्यक्ष गुड्डू चौहान ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि भारत माता पब्लिक स्कूल कोतमा के संचालक एवं प्राचार्य के विरुद्ध पूर्व में भी गंभीर शिकायतें लगातार सामने आती रही हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण ऐसे कृत्य दोहराए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूल में छात्रों के साथ मारपीट, मानसिक प्रताड़ना और भय का वातावरण बन रहा है।

शिक्षा के मंदिर में डर और हिंसा का माहौल

उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूल में छात्र-छात्राओं के साथ अमर्यादित व्यवहार, क्रूरता और भय का वातावरण बना हुआ है, जो न केवल शिक्षा के मूल उद्देश्यों के खिलाफ है, बल्कि कानूनन अपराध भी है। शिक्षा के मंदिर में डर और हिंसा का माहौल बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। कांग्रेस नेता ने जिला प्रशासन से मांग की है कि भारत माता पब्लिक स्कूल कोतमा की निष्पक्ष जांच कराई जाए, दोषी संचालक एवं प्राचार्य के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई हो तथा ऐसे स्कूलों पर कठोर नियंत्रण लगाया जाए, ताकि भविष्य में किसी भी छात्र के साथ इस प्रकार की घटना दोबारा न हो।